झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–1015 वर्ष 2017

रेणु देवी, पत्नी–यशवंत कुमार मिश्रा, निवासी ग्राम–अकालवानी (कुम्भी), डाकघर–लगमा, थाना एवं जिला–गढ़वा। .... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य द्वारा अपने प्रधान सचिव, बाल विकास और समाज कल्याण विभाग, झारखंड, धुर्वा, रांची।
2. उपायुक्त–सह–जिला दंण्डाधिकारी, गढ़वा।
3. उप विकास आयुक्त, गढ़वा।
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी, गढ़वा।
5. जिला सांख्यिकी अधिकारी, गढ़वा।
6. बाल विकास अधिकारी, गढ़वा।
7. जिला कल्याण अधिकारी, गढ़वा

.... प्रतिवादीगण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्रो आनंदा सेन**

याचिकाकर्ता(गण) के लिए :– मेसर्स रवि कुमार सिंह और रवि प्रकाश, अधिवक्ता

राज्य के लिएः– श्री बृज बिहारी सिन्हा, जी0ए0–II

श्री विशाल कुमार सिंह, जी0ए0–II के ए0सी0

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन**

07 / 02.04.2019 इस रिट याचिका में, याचिकाकर्ता ने दिनांक 16.05.2016 के आदेश को चुनौती दी है जो कि बाल विकास परियोजना अधिकारी, मेराल द्वारा जारी पत्र संख्या 108 निहित है, जिसके द्वारा, याचिकाकर्ता को कुंभी केंद्र, मेराल की आंगनबाड़ी सेविका से हटा दिया गया है। उपायुक्त–सह–जिला मजिस्ट्रेट, गढ़वा द्वारा विविध (आंगनबाड़ी) अपील मामला संख्या 06 / 2016–17 में दिनांक 22.11.2016 को पारित अपीलीय आदेश को भी चुनौती दी गई है।

2. याचिकाकर्ता को केंद्र–कुंभी, मेराल में आंगनबाड़ी सेवाि के रूप में नियुक्त किया गया था। वह पिछले 18 वर्षों से वहां काम कर रही थीं। यह आरोप लगाया गया था कि दिनांक 21.04.2016 को एक निरीक्षण किया गया था और केंद्र को बंद पाया गया था। केंद्र बंद होने के कारण याचिकाकर्ता को 21 अप्रैल, 2016 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। कथित कारण बताओ नोटिस में, यह आरोप लगाया गया है कि ग्रामीणों ने शिकायत की कि याचिकाकर्ता शायद ही कभी कथित केंद्र में मौजूद रहती है। याचिकाकर्ता ने उसमें यह जवाब दिया कि 21 अप्रैल, 2016 को उसने केंद्र का प्रभार दौलत देवी, सहायिका, कुंभी, मेराल को सौंप दिया था क्योंकि उसे मेराल जाना था। याचिकाकर्ता का स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं किया गया। प्रतिवादी–बाल विकास परियोजना अधिकारी, मेराल, ने दिनांक 16.05.2016 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को हटा दिया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने एक अपील दायर की, जो विविध (आंगनबाड़ी) अपील मामला संख्या 06 / 2016–17 के रूप में पंजीकृत किया गया

कथित अपील को भी खारिज कर दिया गया , जिसके परिणामस्वरूप यह रिट याचिका दायर की गई।

3. याचिकाकर्ता के वकील प्रस्तुत करते हैं कि एक दिन की अनुपस्थिति के लिए, याचिकाकर्ता को हटा दिया गया है। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता ने अपने जवाब में बताया कि उसे मेराल जाना था और वह केंद्र का प्रभार केंद्र की सहायिका दौलत देवी को सौंपने के बाद वहां गई थी। वह यह भी प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता के बचाव को जाँच किए बिना, आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। वह यह भी प्रस्तुत करते हैं कि नोटिस में दूसरा आरोप ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायत के बारे में है कि याचिकाकर्ता शायद ही कभी केंद्र में उपस्थित रहती है, लेकिन कथित आरोप की पुष्टि करने के लिए, प्रत्यर्थी अधिकारियों द्वारा कोई जांच नहीं की गई थी, इस प्रकार आक्षेपित आदेश पूरी तरह से गलत हैं और विवेक का उपयोग नहीं होने का सुझाव देते हैं।

4. राज्य के वकील प्रस्तुत करते हैं कि 21.04.2016 को एक निरीक्षण किया गया था और यह पाया गया कि केंद्र बंद था। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस दिया गया था। वह यह भी प्रस्तुत करता है कि उत्तर असंतोषजनक था, इसलिए याचिकाकर्ता को उसकी सेवाओं से हटा दिया गया है। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि अपीलीय प्राधिकारी ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद अपील को खारिज कर दिया, इसलिए, बर्खास्तगी आदेश के साथ–साथ अपीलीय आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। वह अंत में यह प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता को अनुबंध पर रखा गया था, इसलिए नोटिस जारी करने के बाद उसे हटाया जा सकता है।

5. पार्टियों को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

6. मैनें पाया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप यह है कि 21.04.2016 को केंद्र जिसको बंद पाया गया था उसकी प्रभारी याचिकाकर्ता थी। यह निष्कर्ष निकाला गया कि याचिकाकर्ता 21.04.2016 को अपने ड्यूटी से अनुपस्थित थी। एक कारण बताओ नोटिस याचिकाकर्ता को जारी किया गया और याचिकाकर्ता का जवाब असंतोषजनक पाए जाने के बाद, उन्हें एक दिन के लिए अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के लिए उनकी सेवाओं से हटा दिया गया, हालांकि याचिकाकर्ता ने पिछले 18 वर्षों से केंद्र की सेवा की है। मुझे लगता है कि सजा याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों के अनुरूप नहीं है।

7. इसके अलावा, मुझे लगता है कि याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि कथित केंद्र का प्रभार, उस दिन, केंद्र की दौलत देवी, सहायिका को दिया गया था, जो प्रथम दृष्टया, दस्तावेज से एकत्र किया जा सकता है, जो कि रिट याचिका के अनुलग्नक–1 है। आश्चर्यजनक रूप से, याची के बचाव पर प्रत्यर्थी प्राधिकारियों द्वारा कोई जांच नहीं की गई और यहां तक कि कथित दौलत देवी की भी पूछताछ नहीं की गई। एक बार जब याचिकाकर्ता द्वारा बचाव पेश किया जाता है, तो उसे हटाने से पहले प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए थी। मामले के इस पहलू पर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा ध्यान नहीं दिया गया और केवल एक दिन की अनधिकृत अनुपस्थिति के आधार पर, याचिकाकर्ता को उसकी सेवा से हटा दिया गया, जो बिल्कुल गलत है। इसके अलावा, इस न्यायालय के संज्ञान में यह भी लाया गया है कि समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार का परिपत्र संख्या 3/सात्र कात्र 134/202– का.–585 है जिसके

क्लाज 16 में यह कहा गया है कि आंगनबाड़ी सेविका यदि 15 दिन से अधिक अनुपस्थित रहती है तो कारण बताओ नोटिस देने के बाद ही उसे हटाया जा सकता है। इस मामले में, मैनें पाया कि केवल एक दिन की अनुपस्थिति कें लिए, याचिकाकर्ता को बर्खास्त कर दिया गया है, जो सरकार के कथित परिपत्र का भी उल्लंघन है। इसके अलावा, जैसा कि उपर कहा गया है यह सजा आश्चर्यजनक रूप से असमानुपातिक है। संविदा रोजगार के मामले में भी यदि कर्मचारी पर आरोप लगाया जाता है, तो दंड आरोप के अनुरूप होना चाहिए।

7. चूंकि दंड आरोप के अनुपात से अधिक है और सरकार के परिपत्र का भी उल्लंघन किया गया है, इसलिए मैं दिनांक 16.05.2016 को बर्खास्तगी के आक्षेपित आदेश जो कि बाल विकास परियोजना अधिकारी, मेराल द्वारा जारी पत्र संख्या 108 में निहित है, को अपास्त करता हूँ। परिणामतः गढ़वास के उपायुक्त द्वारा दिनांक 22.11.2016 को विविध (आंगनबाड़ी) अपील मामला संख्या 06/2016–17 में पारित अपीलीय आदेश को भी रद्द कर दिया जाता है। याचिकाकर्ता को तुरंत बहाल किया जाए।

8. तद्नुसार, इस रिट याचिका को अनुज्ञात किया जाता है।

(आनंदा सेन, न्याया0)